

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी**  
**(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)**

**पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :- 69/2018 अपील सू.प्र.

**उनवान**

श्री राधेश्याम स्वामी पुत्र भीमदास बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति०  
स्वामी निवासी राज का बाडा , गढ के जिला कलक्टर (प्रशा.) जिला  
पीछे, चुरु जिला चुरु भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005**

उपस्थित :- अपीलार्थी अनुपस्थित  
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

**निर्णय**

दिनांक : 15.10.2018

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 08.08.2018 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं० 40 एफ 863754 राशि 10.00 रु० के साथ एक आवेदन दिनांक 03.04.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाड़ा को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03.04.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 27.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाड़ा के पत्रांक दिनांक 31.08.2018 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी को दिनांक 03.04.2018 को प्रेषित किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/सू.प्र./2018/230 दिनांक 18.06.2018 को अंकित कर की आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना के अधिकार 2005 के तहत देय अपीलार्थी को जरिये डाक द्वारा सूचना भिजवा दी गयी हैं। छाया प्रति संलग्न हैं।

अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 15.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)  
जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलट अधिकारी  
भीलवाड़ा